न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 50/2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

1. समरथसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

1. हमेदा पुत्र सुलेमान जाति मोयला
2. भंवरसिंह पुत्र सरदारसिंह
3. गंगासिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी पायला खुर्द
4. एवनकंवर पत्नी गणपतसिंह
5. भंवरसिंह पुत्र विरधसिंह जाति राजपूत
6. केशाराम पुत्र पेमाराम
7. मोहनलाल पुत्र गुलाराम
8. नानजीराम पुत्र दानाराम
9. भारमलराम पुत्र दानाराम
10. प्रभूराम पुत्र दाराराम
11. छोगाराम पत्रु दानाराम
12. पीराराम पुत्र पुरखाराम
13. हीराराम पुत्र पुरखाराम
14. खुबाराम पुत्र पुरखाराम जातियान मेगवाल निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां खुर्द पटवार हल्का पालया खुर्द में खसरा संख्या 440/355 रकबा 2.1681 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां खुर्द पटवार हल्का पालया खुर्द मे खसरा संख्या 440/355 रकबा 2.1681 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां खुर्द पटवार हल्का पालया खुर्द में खसरा संख्या 440/355 रकबा 2.1681 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां खुर्द पटवार हल्का पालया खुर्द में खसरा संख्या 440/355 रकबा 2.1681 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां खुर्द पटवार हल्का पालया खुर्द में खसरा संख्या 440/355 रकबा 2.1681 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बा[illegible]स्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि [illegible] करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested.

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राजस्व ग्राम पायला कलां खुर्द पटवार हल्का पालया खुर्द में खसरा संख्या 440/355 रकबा 2.1681 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को

टिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested